

**भारत सरकार**  
**जल शक्ति मंत्रालय**  
**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**  
**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या 1817**  
**जिसका उत्तर 05 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।**

.....

**बिहार में बाढ़ प्रबंधन को सुदृढ़ करना**

**1817. श्री सुधाकर सिंह:**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा बिहार में बार-बार बाढ़ आने की आशंका को देखते हुए बाढ़ प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;
- (ख) बिहार में चल रही बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं की क्या स्थिति है तथा सरकार द्वारा बक्सर, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जैसे जिलों में लगातार बाढ़ से होने वाली तबाही को रोकने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है;
- (ग) क्या सरकार ने बिहार में तटबंधों और जल निकासी प्रणालियों जैसी मौजूदा बाढ़ प्रबंधन अवसंरचना की प्रभावकारिता के संबंध में कोई अध्ययन या आकलन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार ने पूर्व चेतावनी प्रणाली, आपदा से निपटने की तयारी और बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में समुदायों का हौसला बढ़ाने के लिए बिहार राज्य सरकार के साथ कोई नई पहल की है या सहयोग करने की योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) बिहार में विशेषकर जलवायु परिवर्तन और उस पर इसके प्रभाव के संदर्भ में दीर्घकालिक बाढ़ शमन के लिए सरकार द्वारा रणनीति अपनाई गई है?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री      श्री राज भूषण चौधरी**

(क) से (ग): बाढ़ प्रबंधन परियोजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार अपने संसाधनों से तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। केन्द्र सरकार गंभीर क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करके और संवर्धनात्मक वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है।

बाढ़ प्रबंधन के संरचनात्मक उपायों को मजबूत करने के लिए, मंत्रालय ने नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, कटाव रोधी, जल निकासी विकास, समुद्र कटाव विरोधी आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए XIवीं और XII योजना के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) लागू किया था, जो बाढ़ में 2017-18 से 2020-21 की अवधि के

लिए "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" (एफएमबीएपी) के एक घटक के रूप में जारी रहा और सीमित परिव्यय के साथ सितंबर 2022 तक बढ़ाया गया। सरकार ने 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 4,100 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ एफएमबीएपी को मंजूरी दी है। एफएमपी घटक के तहत 924.40 करोड़ रुपये और आरएमबीए घटक के तहत 699.64 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता बिहार को जारी की गई है। बिहार राज्य में इस कार्यक्रम के अंतर्गत पूरी की गई 42 परियोजनाओं ने लगभग 2867 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को उचित सुरक्षा प्रदान की है और लगभग 223.46 लाख जनसंख्या को सुरक्षा प्रदान की है। बिहार राज्य सरकार ने सूचित किया है कि बाढ़ सुरक्षा के लिए बिहार में विभिन्न नदियों पर 3800.41 किमी लंबाई के तटबंधों का निर्माण किया गया है।

एफएमबीएपी के बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) घटक के तहत बिहार में बक्सर, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिले में बाढ़ प्रवण क्षेत्र की रक्षा के लिए बिहार सरकार द्वारा किए गए उपाय अनुबंध- I के रूप में संलग्न हैं। बिहार में बक्सर, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिले में बाढ़ प्रवण क्षेत्र की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले प्रस्तावित उपायों को अनुबंध-II में दिया गया है।

केन्द्रीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं की मानीटरिंग के भाग के रूप में, बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं के निर्माण के बाद निर्माण और निष्पादन मूल्यांकन के दौरान समवर्ती मूल्यांकन राज्य सरकारों द्वारा तृतीय पक्ष के माध्यम से किया जा रहा है।

(घ): बाढ़ प्रबंधन के गैर-संरचनात्मक उपाय के रूप में केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) राज्य सरकारों के परामर्श से अभिज्ञात स्थानों पर बाढ़ पूर्वानुमान जारी करता है। सीडब्ल्यूसी उचित जलाशय विनियमन के लिए अभिज्ञात जलाशयों के लिए अंतर्वाह पूर्वानुमान भी जारी करता है। वर्तमान में बिहार राज्य में, केन्द्रीय जल आयोग 43 एफएफ स्टेशन (40 स्तर पूर्वानुमान स्टेशन + 03 अंतर्वाह पूर्वानुमान स्टेशन) का रखरखाव करता है।

लोगों को निकालने की योजना बनाने और अन्य उपचारात्मक उपाय करने के लिए स्थानीय अधिकारियों को अधिक समय प्रदान करने के लिए, केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने 24 घंटे तक के प्रतिक्रिया समय वाले शॉर्ट-रेंज पूर्वानुमान के अलावा पहचान किए गए बाढ़ पूर्वानुमान और प्रवाह पूर्वानुमान स्टेशनों पर 7 दिनों के अग्रिम बाढ़ पूर्वानुमान सलाह के लिए वर्षा-अपवाह गणितीय मॉडलिंग के आधार पर बेसिनवार बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल विकसित किया है। सीडब्ल्यूसी बाढ़ पूर्वानुमान सेवाओं को बिहार राज्य सहित संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) को जारी किए गए एकीकृत चेतावनी प्रसार प्लेटफॉर्म कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल (सीएपी) के साथ भी एकीकृत किया गया है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने बाढ़ पर ध्यान केंद्रित करने के साथ आपदा प्रतिक्रिया में 6000 सामुदायिक स्वयंसेवकों (प्रत्येक जिले में 200) को प्रशिक्षित करने के लिए 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 30 सबसे अधिक बाढ़ प्रवण जिलों में 2016 से 2021 तक आपदा मित्र नामक पायलट योजना लागू की।

एनडीएमए ने भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप और बाढ़ प्रवण सभी राज्यों (315 जिलों) को आपदा प्रतिक्रिया में एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस और बीएस एंड जी के 2,37,326 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए 2024-25 से युवा आपदा मित्र योजना भी शुरू की है ताकि उन्हें आपातकालीन प्रतिक्रिया किट प्रदान की जा सके।

वास्तविक समय में विभिन्न हितधारकों को बाढ़ से संबंधित जानकारी प्रसारित करने के लिए बिहार सरकार द्वारा बीईएफआईक्यूआर ऐप विकसित किया गया है।

(ड.): बिहार राज्य में बाढ़ का मुख्य कारण उत्तरी बिहार की नदियों जैसे गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा में ऊपरी आवाह क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण बढ़े हुए निस्सरण के कारण है। संबंधित मुद्दों पर मौजूदा भारत-नेपाल द्विपक्षीय त्रि-स्तरीय तंत्रों में चर्चा की जाती है जिसमें (i) जल संसाधन पर संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग (जेएमसीडब्ल्यूआर), (ii) जल संसाधन पर संयुक्त समिति (जेसीडब्ल्यूआर) और (iii) संयुक्त स्थायी तकनीकी समिति (जेएसटीसी) शामिल हैं। भारत सरकार दोनों देशों के परस्पर लाभ, जिसमें बाढ़ नियंत्रण शामिल है, के लिए इन नदियों पर दीर्घावधिक बाढ़ न्यूनीकरण हेतु बांधों के निर्माण हेतु नेपाल सरकार के साथ नियमित रूप से बातचीत कर रही है।

इसके अलावा बैराजों के माध्यम से बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिये केंद्रीय जल आयोग द्वारा जून 2024 में केंद्रीय जल आयोग, एनडब्ल्यूडीए, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग और बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति की अनुशंसा रिपोर्ट में चिन्हित बैराजों में से एक बैराज कोसी नदी पर भी है, जो सुपौल जिले के डगमारा में प्रस्तावित है। समिति की अनुशंसा के अनुसार, जल विद्युत, बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई में इस बैराज की उपयोगिता और इसकी तकनीकी व्यवहार्यता के अध्ययन का कार्य बिहार सरकार द्वारा चिन्हित किया गया है।

\*\*\*\*\*

**अनुलग्नक-1**

“बिहार में बाढ़ प्रबंधन को सुदृढ़ करना” विषय पर दिनांक 05.12.2024 को उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1817 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

एफएमबीएपी के एफएमबी घटक के अंतर्गत बिहार के दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिले में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम				
क्र. सं.	योजना कोड	योजना का शीर्षक	अनुमानित लागत (करोड़)	लाभान्वित जिला
2	बीआर-02	बागमती बाढ़ प्रबंधन, तटबंध निर्माण (एल/बी 17.55 से 56.97 किमी, आर/बी 15.2 से 56.97 किमी)	135.16	सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी
4	बीआर-14	दाहिनी बूढ़ी गंडक तटबंध को अखाड़ाघाट के नीचे 8.00 किमी से अखाड़ाघाट के नीचे 39.00 किमी तक ऊंचा एवं मजबूत किया जाएगा।	12.00	मुजफ्फरपुर
5	बीआर-15	दरभंगा नगर संरक्षण योजना भाग- I	9.33	दरभंगा
6	बीआर-16	दरभंगा नगर संरक्षण योजना भाग- II	14.16	दरभंगा
7	बीआर-17	दरभंगा नगर संरक्षण योजना भाग- III	10.60	दरभंगा
9	बीआर-34	मुजफ्फरपुर जिला (बिहार) में गंडक नदी के किनारे तिरहुत तटबंध के 5.00 से 6.00 मील के बीच पहाड़पुर मनोरथ, बंगरा, बरार, गायईटोला में अपरदन रोधी कार्य	8.13	मुजफ्फरपुर
10	बीआर-36	बिहार के भोजपुर और बक्सर जिलों में गंगा नदी के दाहिने किनारे पर बीकेजी तटबंध के चैम्बर 135-160 (सेक्टर बी) केवटिया गांव के पास, 143-160.38 चैम्बर मझरिया गांव के पास और 1491-1505.75 चैम्बर नैनीजोर गांव के पास (सेक्टर - सी) के बीच अपरदन रोधी कार्य	7.55	बक्सर&भोजपुर
11	बीआर-41	दरभंगा और मधुबनी जिलों में कमला बलान नदी के बाएं और दाएं तटबंध का विस्तार, 11.42 किमी और 5.00 किमी की लंबाई में, बाएं हिस्से में ब्रिक सोलिंग रोड के साथ और दाएं कमला बलान तटबंध के विस्तारित हिस्से पर दो बिंदुओं पर सुरक्षा कार्य।	56.12	मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, खगरिया, सहरसा

12	बीआर-48	बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना चरण-II, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर जिले।	120.94	सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर
13	बीआर-49	बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा जिलों में अधवारा और खिरोई बाएं तटबंध को आर डी 0.0 किमी से आर डी 43.60 किमी तक और आर डी 44.00 किमी से आर डी 90.50 किमी तक और दाएं तटबंध को आर डी 0.0 किमी से आर डी 81.50 किमी तक ऊंचा और मजबूत करना	167.03	सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी
		<b>कुल अनुमानित लागत करोड़ रुपये में</b>	<b>541.02</b>	

अनुलग्नक-II

“बिहार में बाढ़ प्रबंधन को सुदृढ़ करना” विषय पर दिनांक 05.12.2024 को उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1817 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

बिहार में बक्सर, दरभंगा और मुजफ्फरनगर जिले में बाढ़प्रवण क्षेत्रों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित उपाय

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (करोड़में)
1.	बाएं कमला बलान तटबंध और दाएं कमला बलान तटबंध का ऊंचीकरण, सुदृढ़ीकरण और पक्कीकरण चरण-I (पिपराघाट पुल से थांघा पुल) एलकेबीई में 27.10 किमी से 66.30 किमी के बीच और आरकेबीई में 23.20 किमी से 64.00 किमी के बीच	325.12
2.	एल.के.बी.ई. के 66.300 किमी (फटकी कुट्टी) से 92.500 किमी (पुनाच) तक तथा आर.के.बी.ई. के 64.00 किमी (ठेंगहा) से 94.00 किमी (पलवा) तक बाएं और दाएं कमला बलान तटबंध (चरण-II) का ऊंचीकरण, सुदृढ़ीकरण और पक्कीकरण।	297.08
3.	बाएं और दाएं कमला बलान तट बंधका ऊंचीकरण, सुदृढ़ीकरण और पक्कीकरण (चरण-III)। बाएं कमला बलान तटबंध के 0.00 किमी (जयनगर) से 11.72 किमी (कासमा), 21.50 किमी (पिराही) से 27.10 किमी (पिपराघाट) और 92.50 किमी (पुनाच) से 105.35 किमी (घोघेपुर) तक और दाएँ कमला बलान तटबंध के 0.00 किमी (जयनगर) से 23.20 किमी (भाटगामा) तथा 94.00 किमी (पलवा) से 111.29 किमी (फुहिया) तक।	255.46
4.	बागमती बाढ़ प्रबंधन स्कीम-चरण-V (क)	338.69
	कुल रु. करोड़ में	1216.35

\*\*\*\*\*

